FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

शांतिलाल बनाम भैरुलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 108/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
01/04/22 2022/179	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ शांतिलाल पिता श्री उदा जी जाट निवासी– दौलतपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ़ ने ग्राम पारोली स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1125/233 कुल कीता 1 कुल रकबा 1.0000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम पारोली प.ह. रोलाहेडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1125/233 कुल कीता 1 रकबा 1.0000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000=00 रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो। (श्याम सुन्दर विश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi Date: 2022.05.19 18:32:46 IST Reason: SelfAttested

ायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क/सरिश्ता/प्रा.पत्र 108/2022/80 दिनांक 01/04/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध मे।

प्रकरण : शांतिलाल पिता उदा जी जाट निवासी [illegible] — प्रार्थी

बनाम

1- [illegible] पिता [illegible] जी ब्राह्मण निवासी [illegible]

2 से 7 [illegible] - श्यामलाल - [illegible] - [illegible] -
बाबूलाल - शांतिलाल पिता [illegible] जी ब्राह्मण
निवासी पारोली तहसील चित्तौड़गढ़

8- श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] निवासी [illegible]
चित्तौड़गढ़
— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकिंत अनवान के प्रकरण मे ग्राम पारोली खतौनी सं. 254 सम्वत् 2076-2079 मे अकिंत आराजी नम्बर 1125/233 .... कुल किता 1 रकबा 1.0000 है. भूमि की नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकंन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावें। खर्चा कमिश्नर शुल्क रूपये 1000=00 अक्षरे एक हजार रुपये .... मात्र प्रार्थी वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय मे (15 दिवस में) शीघ्र भिजावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.05.19 16:32:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़